न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 217/2021

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. श्रीमती कंकूदेवी पत्नि स्व0 तेजाराम 2. गीगाराम पुत्र स्व0 तेजाराम जातियान मेघवाल निवासी–मेघवालों का बास, वार्ड सं. 4 ग्राम खारवा, तहसील पचपदरा, बाडमेर।		1. जेठूदान पुत्र जोरदान जाति चारण निवासी– खारवा,तहसील पचपदरा, जिला बाडमेर। 2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पचपदरा, बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 25.08.2005 जो राजस्व आवेदन संख्या 02/2003 अनवान जेठूदान बनाम तेजाराम वगैराह में अति0 जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रामेश्वर हेडाउ, अधिवक्ता अपीलान्टस की ओर से।
2– श्री जयदेवसिंह चारण, अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से
4– श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 23–09–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14 (4) के तहत एक आवेदन प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम खारवा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 118 रकबा 64 बीघा 14 बिस्वा, किस्म बारानी–प्रथम भूमि आई हुई है जिस पर रेस्पो0 के पिता जोरदान उर्फ जोरकरण का गत बन्दोबस्त से कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि उनके पिता की खातेदारी में होते हुए बन्दोबस्त के अधिकारियों द्वारा उसे बिला कब्जा मुमकिन राजस्व अभिलेख में अंकित कर दी। आगे यह भी कथन किया कि तेजाराम पुत्र मगनाराम ने दिनांक 19.5.1970 को आवेदन कर भूमिहीन कृषक होने से ग्राम पिण्डारण के ख0सं. 4 में से 30 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार पचपदरा ने हल्का पटवारी कांकराला से रिपोर्ट मांगी मगर हल्का पटवारी ने बिना जॉच किये यह प्रमाणित किया कि तेजाराम भूमिहीन कृषक है तथा 30 भूमि आवंटित करने की सिफारिश कर दी। इसके पश्चात तहसीलदार ने तेजाराम की मांग के विपरित पिण्डारण की बजाय मौजा खारवा के ख0सं0 119 में 30 बीघा भूमि नियमों के विरूद्ध दिनांक 6.6.1970 को आवंटित कर दिया गया। तब वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने उक्त प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य अंकित करते हुए तेजाराम को आवंटित भूमि को नियम विरूद्ध आंवटित होने से निरस्त करने की प्रार्थना की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करने, सुनवाई करने के उपरान्त अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.8.2005 के द्वारा तेजाराम के आवंटन को नियम विरूद्ध मान तथा काश्त व कब्जा नहीं होने से निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया एवं भूमि का कब्जा बहक

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

सरकार प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने, नियमानुसार अतिकमियों के विरूद्ध कार्यवाही करने, एवं कोई व्यक्ति इस भूमि में नियमन की पात्रता रखता हो तो भूमि नियमन कर प्रकरण भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश पारित कर दिये जिसके विरूद्ध यह प्रथम अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

दौरान सुनवाई अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के पूर्वज तेजाराम ने दिनंक 19.5.1970 को एक आवेदन रेस्पो0 संख्या 2 के समक्ष पेश कर भूमिहीन कृषक होने से ग्राम पिण्डारन में स्थित ख0सं0 4 में भूमि आवंटन किये जाने की मांग की, जिस पर रेस्पो0 संख्या 2 ने आवेदन की जॉच पटवारी हल्का कांकरला द्वारा करवाई जाकर दिनांक 6.6.1970 को भूमि आवंटन कमेटी ने तेजाराम की मांग अनुसार उपलब्ध खसरा संख्या 118 रकबा 64 बीघा ग्राम खारवा में से रकबा 30 बीघा भूमि आवंटन कर दी। आवंटन के उपरान्त तेजाराम का नाम राजस्वरेकर्ड में अमलदरामर कर दिया। एक अन्य व्यक्ति मांगीलाल पुत्र लछाराम भील ने भी भूमिहीन कृषक होने से एक आवेदन पेश किया था जिसे भी इसी ख0सं0 118 रकबा 34.14 बीघा भूमि आवंटित की।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के पूर्वज तेजाराम का दिनांक 2.7.16 को ग्राम खारवा में देहान्त हो गया था। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में तेजाराम पैरवी कर रहे थे वे अनपढ ठेठ ग्रामीण व अनुसूचित जाति के व्यक्ति थे जिनको केस की जानकारी नहीं थी, इस कारण उनकी मृत्यु के बाद केस की पैरवी नहीं कर सके। उपरोक्त प्रकरण की जानकारी दिनांक 2.4.21 को जोरदान से इस भूमि के बाबत विवाद होने से उक्त निर्णय की जानकारी अपीलान्ट संख्या 2 को हुई। तब अपीलान्ट संख्या 2 दिनांक 4.4.21 को बाडमेर जाकर अधिवक्ता नियुक्त करते हुए केस की जानकारी हासिल की एव दिनांक 30.4.21 को अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त की। कोराना महामारी के कारण लगातार लॉकडाउन होने के कारण अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में दिनांक 15.7.21 तक पेश करने वाले सभी प्रकरणों में म्याद माफी की है तथा प्रकरणों को अन्दर म्याद माना है।चूंकि अपीलाधीन आदेश तेजाराम की अनुपस्थिति में पारित किया गया है इसलिये अपीलान्ट के हित विपरित रूप से प्रभावित हो रहे है। जिस कारण से अपीलान्ट के द्वारा तेजाराम के हितों तक इस निर्णय दिनांक 25.8.05 को अपील में चुनौती दी जा रही हैं।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि रेस्पो0 सं0 1 ने अधिनस्थ न्यायलय के समक्ष उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु चुनौती पेश की थी। जिस पर प्रकरण दर्ज करते हुए नोटिस जारी किये गये। जो तेजाराम को प्राप्त होने पर उनके द्वारा दिनांक 23.8.2003 को प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कथन किया तेजाराम अनु0 जाति का 70 वर्षीय गरीब वृद्ध काश्तकार है तथा उक्त विवादित आवंटित 30 भूमि के बाबत पिछले 35 वर्षो से लगातार तहसील, उपखण्ड अधिकारी, राजस्व अपील प्राधिकारी, राजस्व मण्डल न्यायालयों में पेशी पर चक्कर काटते हुए वकीलों को मेहनतना देकर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है। उसके पास अब किराये व वकील के लिये

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पैसे नहीं होने व 70–75 वर्ष आयु होने से बाडमेर आ पाने में असमर्थ है। इसके अतिरिक्त उपखण्ड अधिकारी न्यायालय बालोतरा में रेस्पो0 संख्या एक के पिता जोरदान व तेजाराम के मध्य किये घोषणा के वाद की प्रतिलिपि, निर्णय प्रतिलिपि व राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि व नकल नोटिस अन्तर्गत धारा 183 बी आरटी एक्ट के पेश किये गये थे। अन्त में तेजाराम द्वारा अनुतोष मांगा कि विवादित आराजी का कब्जा दिलाने हेतु तहसीलदार पचपदरा को आदेश देने का निवेदन किया। इसके अलावा अन्य पक्षकार मांगीलाल ने भी अपना अलग से जवाबदावा पेश किया था। मगर अधीनस्थ न्यायालय ने तेजाराम की अनुपस्थिति में अन्वीक्षा दर्ज कर अनुपस्थिति दर्ज करते हुए तथा मामलें को सही रूप से कन्सीडर नहीं कर मनमाने रूप से अवैध व साम्य एवं विधि विरूद्ध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया तथा तेजाराम के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त कर दिया। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर तेजाराम की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए उनके पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित है।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तेजाराम के द्वारा अपने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 23.8.2003 में सभी तथ्य उल्लेखित करने के आधार पर तेजाराम को इस केस की पैरवी हेतु कानूनी सहायता प्रदान करते, परन्तु ऐसा नहीं किया और एकपक्षीय आदेश पारित कर दिया जो काबिल खारिज के है। इसके अतिरिक्त तेजाराम को दिनांक 6.6.1970 को राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1957 के तहत भूमिहीन कृषक होने से ग्राम खारवा के ख0सं0 118 में 30 बीघा भूमि विधिवत रूप से आवंटित की गई थी। उक्त नियम दिनांक 24.07.1970 को रिपिल कर उसके स्थान पर राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 लागू किये जा चुके है। राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 22 रिपिल एण्ड सेविंग क्लॉज के अनुसार राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1957 में पारित किसी भी आदेश/आवंटन इत्यादि सभी कार्यवाही को सुरक्षा दी गई है। यानि राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1957 के तहत हुई कार्यवाही को राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के तहत चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिये रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत आवेदन नियम 14 (4) राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 मैनटनेबल ही नहीं था। इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मांगीलाल के अधिवक्ता की ओर से बहस भी की गई थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के इस प्रावधान को दरकिनार कर रेस्पो0 संख्या एक के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तेजाराम के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त कर दिया था। वो अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिल निरस्त के है।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या एक ने यह बताया कि तेजाराम के आवंटन के वक्त कृषि भूमि थी तथा तेजाराम कृषिभूमिहीन व्यक्ति नहीं था। रेस्पो0 ने प्रदर्श–3 से 5 खतौनी खसरा गिरदावरी प्रदर्शित की, जिसमें ग्राम खारवा के ख0सं0 101 में रकबा 127.02 बीघा भूमि तेजाराम के

पिता मगनाराम के खातेदारी में होना बताया। परन्तु उक्त जमाबन्दी में कही दर्शित नहीं होता कि बवक्त आवंटन तेजाराम के पास कृषि भूमि थी। उक्त भूमि तेजाराम के पिता की थी। इससे यह भी साबित होता है कि तेजाराम ने कोई तथ्य नहीं छुपाए थे। इसके अतिरिक्त ग्राम खारवा की उक्त खसरान की भूमि जागीरी की भूमि थी जो जागीर भूमि उन्मूलन अधि0 के तहत सरकार ने जब्त कर सरकार हक में ली। रेस्पो0 संख्या एक के पिता ने इसी खसरा के कब्जा को लेकर तेजाराम के विरूद्ध एक राजस्व वाद संख्या 119/81 जोरदान बनाम राज्य वगैराह अन्तर्गत धारा 88, 91, 92 ए और 188 के तहत उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा के समक्ष किया जो दिनांक 21.5.1981 को खारिज हुआ। जिसमें विवाधक संख्या–1 के निर्णय में रेस्पो0 संख्या 1 के पिता जोरदान का राज0 काश्तकारी अधिनियम जो दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ था, के समय व उसके पूर्व से कब्जा होना साबित नहीं माना है। हालांकि अपीलान्टस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दावा अबेट होने के कारण पुनः उत्तराधिकारियों को रेकर्ड पर लेकर नया दावा पेश करने की छूट दी गई। पुनः सुनवाई के बाद भी उक्त निर्णय बहाल रखा, जिसके विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील हुई जो भी दिनांक 30.9.97 को खारिज की गई जिसके विरूद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में अपील पेश हुई जो भी दिनांक 2.01.05 को खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दस्तावेजात को कन्सीडर नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय रेस्पो0 संख्या एक के मौका प्रतिवेदन तहसीलदार से कब्जाकाश्त की रिपोर्ट तलब की जो दिनांक 21.7.05 पेश हुई जिसमें रेस्पो0 का कब्जा काश्त होना बताया, परन्तु इस रिपोर्ट के आधार पर भी तेजाराम को हुए आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता था। तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर रेस्पो0 संख्या एक का कब्जा काश्त माना जबकि रेस्पो0 संख्या 1 का कब्जा मांगीलाल की एक बीघा भूमि पर ढाणी/कमरा बनाकर ऋण लिया था तथा विवादित आराजी के पडौस में रबारी केसाराम, खेताराम से एक बीघा जमीन लेकर ऋण लिया था जिससे भी रेस्पो0 संख्या एक का कब्जा तेजाराम की भूमि पर होना साबित नहीं होता था।

अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पो0 संख्या एक के आवेदन को स्वीकार करने का यह आधार भी बताया कि तेजाराम को बरवक्त आवंटन के समय भूमि आवंटन सलाहकार समिति सदस्यों का 2/3 कोरम होना नहीं था। यह मत विधि विरूद्ध है। तत0 तहसीलदार के द्वारा ग्राम खारवा में भूमि की उपलब्धता के आधार पर ही ख0सं0 118 में से भूमि आवंटन की थी। तत0 तहसीलदार के द्वारा तेजाराम को भूमिहिन व्यक्ति होने के आधार पर ही राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1957 के सभी नियमों की पालना से संतुष्ट होकर विधि परक तेजाराम को भूमि आवंटन की गई थी। इसलिये यह भी नहीं कहा जा सकता है कि नियमों की पालना नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त पत्रावली में उपलब्ध आदेश दिनांक 16.11.1975 तहसीलदार के द्वारा जारी आदेश संख्या 168/1968 व 151/1972 के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा तेजाराम व मांगीलाल के पक्ष में ग्राम खारवा की खेत ख0सं0 118 में किये गये भूमि आवंटन को अवैध होना बताते हुए निरस्त करने का निर्णय लिया था जबकि उक्त आदेश तेजाराम को पूर्ण

सुनवाई का अवसर दिये बिना ही पारित किया गया था जिस आदेश की तेजाराम को सूचना नहीं दी गई। मगर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने मामलें के इस दृष्टिकोण से कन्सीडर नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 जेठूदान के विवादित आराजी पर अवैध कब्जा व अतिक्रमण होने के बावजूद भी तेजाराम का आवंटन निरस्त कर दिया जो विधि विरूद्ध है। अपीलान्टस की यह अपील अत्यन्त देरीना पेश की गई है जिसके लिये अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे है जिसमें वर्णित तथ्य द परिस्थितियों को कन्सीडर कर अपील की सुनवाई किया जाना आवश्यक है। इन सब आधारों पर अपीलाधीन आदेश निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2005 को निरस्त किया जावें।

प्रत्युतर में रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने मुख्य रूप से यह कथन किया कि न्यायालय हाजा को उक्त अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार नही है क्योंकि अपीलाधीन आदेश कृषि प्रयोजन के लिये भूमि का आवंटन से सम्बन्धित है यानि कि ये धाराए सेटलमेन्ट से सम्बन्धित नहीं है। धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम की उपधारा 1 के तहत बन्दोबस्त से सम्बन्ध नहीं रखने वाले मामलों में किसी सहायक कलेक्टर या उपखण्ड अधिकारी या कलेक्टर द्वारा मूल पारित आदेश की राजस्व अपील प्राधिकारी को अपील हो सकती है, न कि न्यायालय हाजा को। क्षेत्राधिकार को किसी कार्यपालिका के निर्देश बनाकर बदला नही जा सकता है तथा यदि कोई परिपत्र निकाला जाता है जो अधिनियम के विरूद्ध है तो वह स्वतः ही शून्य है। ऐसे में अपीलान्ट की अपील पर न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपील खारिज योग्य है, उस अपील को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से अपीलान्ट को अपील लौटाने का अधिकार नहीं है।

इसके अतिरिक्त राज0 भू राजस्व (भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन) नियम 1957 जैसे कि वे समय–समय पर संशोधित हुए, निरस्त किये जाते है और ऐसे आवंटन नियम 14 का उपनियम 4 कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के तहत उपखण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा नियम 21 के नियमों के अधीन किये गये किसी भी आवंटन को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर रदद करने की शक्तियॉ जिला कलेक्टर को दी गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के उपस्थित नहीं हुआ और प्रकरण का परिणाम के बारे में जानने की चिंता ही नहीं की, ऐसे में न्याालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में हुए असाधारण विलम्ब का सन्तोषप्रद ढंग से विलम्ब को स्पष्ट नहीं किया गया है जो आधार अपील विलम्ब से पेश करने एवं म्याद को क्षमा करने बाबत लिये गये है वो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 में भी अंकित किये गये है वो भी स्वीकार करने योग्य नहीं है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वर्ष 2005 में पारित हुआ था और अपीलान्ट के वारिसान की ओर से यह प्रथम अपील वर्ष 2021 में न्यायालय हाजा के समक्ष लगभग 16 वर्ष पश्चात पेश की गई है जो स्वीकार करने योग्य नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त अपीलान्ट को कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियमों के प्रावधानों के विपरित जाकर भूमि का आवंटन किया गया था। श्री तेजाराम के द्वारा अपने को भूमि

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

आवंटन करने हेतु अपने आवेदन में ग्राम पिन्डारन में स्थित ख0सं0 4 में भूमि आवंटन की मांग की, परन्तु उसके आवेदन के अनुसार भूमि का आवंटन नहीं कर ग्राम खारवा ख0सं0 118 रकबा 64 बीघा 14 बिस्वा में से 30 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई जो पूर्ण रूप से नियमों के विपरित व राजस्व कार्मिकों की मिलीभगती से ग्राम खारवा में भूमि आंवटित कर दी गई। उक्त आवंटन हेतु भूमि आवंटन सलाहकार समिति हेतु जो कोरम होता है वह कोरम भी पूर्ण सदस्यों वाला नहीं था, ऐसे में बिना समिति कोरम के अभाव में ऐसा किया गया आवंटन विधि विपरित होने से निरस्त योग्य ही था। जिसमें राजस्थान विधानसभा सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति, सरपंच, ग्राम पंचायत, विकास अधिकारी, तहसीलदार इत्यादि सदस्य होते है।

रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर बाडमेर के समक्ष राज0 भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम,1970 के नियम 14 (4) के तहत आवेदन करते हुए कथन किया कि ग्राम खारवा, तहसील पचपदरा के खसरा संख्या 118 रकबा 64 बीघा 14 बिस्वा, किस्म बारानी–प्रथम भूमि आई हुई है जिस पर रेस्पो0 के पिता जोरदान उर्फ जोरकरण का गत बन्दोबस्त से कब्जा व काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि उनके पिता की खातेदारी में होते हुए बन्दोबस्त कार्यवाही के समय बन्दोबस्त अधिकारियों द्वारा उसे बिला कब्जा मुमकिन राजस्व अभिलेख में अंकित कर दी। अपीलान्ट के पूर्वज तेजाराम पुत्र मगनाराम ने दिनांक 19.5.1970 को आवेदन कर भूमिहीन कृषक होने से गाम पिण्डारण के ख0 सं. 4 में 30 बीघा भूमि आवंटन किये जाने का निवेदन किया, जिस पर तहसीलदार पचपदरा ने हल्का पटवारी कांकराला से रिपोर्ट मांगी मगर हल्का पटवारी ने बिना जॉच किये यह प्रमाणित किया कि तेजाराम भूमिहीन कृषक है तथा 30 भूमि आवंटित करने की सिफारिश कर दी। इसके पश्चात तहसीलदार ने तेजाराम की मांग के विपरित पिण्डारण की बजाय मौजा खारवा के ख0सं0 119 में 30 बीघा भूमि नियमों के विरूद्ध दिनांक 6.6.1970 को आवंटित कर दिया गया। तहसीलदार पचपदरा के समक्ष अन्य व्यक्ति मांगीलाल के द्वारा भी ग्राम पिण्डारण के ख0सं0 4 में से रकबा 20 बीघा भूमि आवंटन की मांग की। उस व्यक्ति मांगीलाल के आवेदन के विपरित जाकर ग्राम पचपदरा के ख0सं0 118 में 34 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटित करने की सिफारिश कर दी। वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 ने तेजाराम को हुए भूमि आवंटन को नियम विरूद्ध बताते हुए निरस्त करने की प्रार्थना की। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज करने, सुनवाई करने के उपरान्त अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.8.2005 के द्वारा तेजाराम के आवंटन को नियम विरूद्ध मान तथा काश्त व कब्जा नहीं होने से निरस्त करने का आदेश पारित कर दिया एवं भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त कर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने, नियमानुसार अतिक्रमियों के विरूद्ध कार्यवाही करने, एवं कोई व्यक्ति इस भूमि में नियमन की पात्रता रखता हो तो भूमि नियमन कर प्रकरण भूमि आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश पारित किया गया था जो पूर्ण रूप से उचित होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

इन तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश में भी अंकित किया है उक्त

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रार्थना पत्रों पर भूमि आवंटन सलाहकार समिति के हस्ताक्षर उपलब्ध है परन्तु प्रचलित भूमि आवंअन नियम 1957 के नियम 13 में निर्धारित समिति के सदस्यों का 2/3 कोरम नहीं होना प्रकट है। जो आवश्यक होता है जिसकी पालना नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त ग्राम खारवा के ख0सं0 118 में तेजाराम व मांगीलाल के पक्ष में किये गये भूमि आवंटन के अनुरूप काश्त व कब्जा का लगातार कब्जा होना प्रमाणित नहीं माना था। तथा तेजाराम के बयानों अनुसार मौके पर कब्जा रेस्पो0 संख्या एक का कब्जा स्वीकार होना माना। रेस्पो0 संख्या एक की ओर से प्रस्तुत ग्राम खारवा की जमाबन्दी सम्वत 2023 से 2026 के अनुसार तेजाराम भूमिहीन कृषक की श्रेणी में नहीं आता था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में सभी विधिक तथ्यों/दस्तावेजों/कथनों पर गहनता से मनन करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित कर तेजाराम व मांगीलाल के पक्ष में हुए कृषि भूमि आवंटन आदेशों को निरस्त किया गया है जो यथावत बहाल रखा जावें।

इसके अतिरिक्त तेजाराम तत्समय भूमिहीन काश्तकार नहीं था क्योंकि वह संयुक्त परिवार का सदस्य था उनके पिता के नाम से जमाबन्दी में खातेदारी भूमि दर्ज थी। राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 24 के तहत बाडमेंर जिले की तहसील पचपदरा क्षेत्र के पांचवा हिस्सा या 75 एकड में से 15 एकड यानि 37–1/2 बीघा तक के भूमिहीन व्यक्ति को तत्तकालीन समय में आवंटन की समयसीमा तय थी। है। इस प्रकार के भूमि का आवंटन तीन वर्षो तक के लिये ही किया जा सकता था। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट को उनके पक्ष में हुए भूमि आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करवाने हेतु निवेदन किया जाता रहा परन्तु अपीलान्ट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपने पक्ष में कृषि प्रयोजनार्थ हुए भूमि आवंटन आदेश की प्रति प्रस्तुत ही नहीं की।

रेस्पो0 संख्या 1 के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्ट के अधिवक्ता के द्वारा अपनी अपील में यह कथन किया जाना कि तेजाराम को पर्याप्त सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, जो कि मानने योग्य नहीं है। तेजाराम के द्वारा जरिये डाक के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाये गये जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित सभी तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में कन्सीडर किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उनके संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया जिस पर यह टिप्पणी कि निर्णयों की प्रतियॉ पेश नहीं की गई जिसमें अन्तिम निर्णय क्या हुआ का ज्ञान होता हो। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है वो पूर्ण रूप से विधि अनुकूल होने से तथा रेस्पो0 संख्या एक के उक्त खसरा भूमि पर काश्त कब्जा के आधार पर तेजाराम एवं मांगीलाल के पक्ष में हुए कृषि भूमि आवंटन को निरस्त करने का पारित किया गया है, बहाल रखा जावे एवं अपीलान्टस की अपील को अस्वीकार किया जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में विभिन्न निर्णय नजीरे पेश की यथा:–आरआरडी, 2004 पेज 49, आरआरडी, 2004 पेज 46, आरआरटी, 2002 पेज 863, आरआरटी, 2007 पेज 939, आरआरटी, 2016 पेज 1381, आरआरडी, 1980, पेज 228, आरआरडी, 1981 पेज 630, आरआरडी, 1987 पेज 295, आरआरडी, 1987 पेज 345 आरआरटी, 2019 पेज 1534, आरआरडी, 1997 पेज 193,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आरआरडी, 1989 पेज 525, एआईआर 1995 एससी पेज 719, आरआरडी, 2006 पेज 331, आरआरडी, 1992 पेज 608, आरआरडी, 1985 पेज 303, आरआरडी, 1994 पेज 616,

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजात, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय, प्रस्तुत निर्णय नजीरों इत्यादि का अवलोकन एवं अध्ययन किया। जिससे यह पाया गया कि अपीलान्टस की ओर से यह अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु अपने म्याद प्रार्थना पत्र में जो तथ्य दर्शाये गये है वो उचित प्रतीत होते है। जिसमें प्रार्थीगण के पति व पिता स्व0 तेजाराम व प्रार्थीगण अनपढ अनुसूचित जाति के ग्रामीण परिवेश के व्यक्ति होने, उन्हें कानून की जानकारी नहीं होने तथा उनके पिता तेजाराम के द्वारा ही अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पैरवी किये जाते रहने एवं तेजाराम का देहान्त दिनांक 7.2.2017 को हो जाने पर अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित किये गये आदेश की जानकारी तत्समय नहीं होने एवं उनके नियुक्त अधिवक्ता के द्वारा उन्हें समय पर नहीं दिये जाने के कथन अंकित किये गये है। साथ ही उक्त प्रार्थना पत्र में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लग जाने के पश्चात दिनांक 4.4.2021 को बाडमेर जाकर अधिवक्ता के माध्यम से आदेश जारी होने की जानकारी ज्ञात किये जाने पर दिनांक 13.06.2021 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होना अंकित किया है तत्पश्चात यह अपील प्रस्तुत किया जाना बताया है जिससे यह न्यायालय सहमत है तथा अपील को उपरोक्त आधार पर अन्दर म्याद शुमार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त भूमि आवंटन पत्रावली के अवलोकन अनुसार भूमि आवंटन कमेटी द्वारा प्रार्थी श्री तेजाराम/मगनाजी को ग्राम खारवा में खसरा संख्या 118 रकबा 30 बीघा किस्म बा0 अव्वल भूमि गैर खातेदारी पर राज0 भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1957 के अनुसार आवंटित की गई है। रेस्पो0 संख्या एक के द्वारा उक्त भूमि पर पुराना कब्जा काश्त होना प्रतिवेदित कर वर्ष 2003 में अपर जिला कलेक्टर, बाडमेर को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपर जिला कलेक्टर, बाडमेर द्वारा तेजाराम की अनुपस्थिति में वर्ष 2005 में रेस्पो0 संख्या एक का कब्जा मानकर तेजाराम को किया गया भूमि आवटंन निरस्त किया गया है।

इससे पूर्व रेस्पो0 संख्या एक के पिता जोरदान द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालोतरा में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए, 188 राज0 काश्तकारी अधिनियम दायर किया गया जो दिनांक 21.5.1985 को अस्वीकार किया गया तथा निर्णयानुसार ,जोरदान का कब्जा काश्त राज0 काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व को साबित नहीं होता है और न वह खातेदारी अधिकारी घोषित करने का अधिकारी है। अपीलान्ट की उक्त निर्णय के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई अपील दिनांक 30.09.1997 को खारिज किया जाना तथा उसके विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी को राजस्व मण्डल न्यायालय, अजमेर द्वारा दिनांक 2.1.2005 को खारिज किया जाना प्रतिवेदित किया है।

तेजाराम को वक्त भूमि आवंटन चूंकि पटवारी हल्का, कांकराला द्वारा सरकारी व कृषि योग्य उपयुक्त भूमि आवंटन हेतु प्रस्तावित की गई है व तदनुसार ही आवंटन कमेटी द्वारा

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

भूमि का आवंटन किया गया है। उक्त भूमि पर कब्जा किया जाकर अतिक्रमी की हैसियत से आवंटन के लगभग 33 वर्ष पश्चात आवंटन को अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती देना उचित प्रतीत नहीं होता है वो भी तब जब कब्जे के आधार पर खातेदारी घोषणा का दावा राजस्व के शीर्ष न्यायालयों से खारिज हो चुका हो। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार के द्वारा प्रस्तुत मौका प्रतिवेदन को आधार बनाकर आवंटी/अधिवक्ता की अनुपस्थिति में तेजाराम के पक्ष में हो रखे रखे 33 साल पुराने भूमि आवंटन को खारिज किया जाना परिलक्षित होता है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरित है जिसे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस प्रकार उल्लेखित समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्टस की अपील स्वीकार किये जाने योग्य होने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किये गये योग्य है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजात का विवेचन/विश्लेषण करने के उपरान्त अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.08.2005 को निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23 सितम्बर, 2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अ